उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-13/ग्यारह-2-24-9(47)/17-टी.सी.250-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(311)-2024

लखनऊः दिनांकः 07 फरवरी, 2024

अधिसूचना

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) की धारा 20 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017)(जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-445/ग्यारह-2-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(118)-2020 दिनांक 11 मई, 2020 और अधिसूचना संख्या-496/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(186)-2021 दिनांक 28 जून, 2021 तथा अधिसूचना संख्या-596/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी0सी0187-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(252)-2022 दिनांक 21 जुलाई, 2022 और अधिसूचना संख्या-515/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी0सी0215-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(273)-2023 दिनांक 24 अप्रैल, 2023 का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा नीचे यथा विनिर्दिष्ट अवधि से संबंधित, उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन, संदत्त न किए गए या कम संदत्त किए गए या गलत प्राप्त कर या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के लिए, आदेश जारी करने की, धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा का विस्तार करती है, अर्थात् :-

(i) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, 30 अप्रैल, 2024 तक ;

(ii) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 31 अगस्त, 2024 तक ।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव